

सन्दर्भ सं०

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/Premium Rates-09-10

दिनांक

—: कार्यालय आदेश :-

निगम के औद्योगिक क्षेत्रों के वार्षिक दर वृद्धि सम्बन्धी नीतियों का निदेशक मण्डल के द्वारा दिनांक 30.6.11 को सम्पन्न अपनी 274वीं बैठक में पुनरावलोकित किया गया । निदेशक मण्डल के द्वारा प्रीमियम दरों के वार्षिक पुनरीक्षण की नीति में प्रस्ताव के अनुसार निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया :-

(क) जिन औद्योगिक क्षेत्रों की दर प्रथम बार निर्धारित की गई हो एवं उसकी माँग अपेक्षाकृत कम हो तथा यदि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दर न बढ़ाने की संस्तुति की गयी हो तो उस औद्योगिक क्षेत्र की दर अगले वर्ष तक नहीं बढ़ाई जाए।

(ख) विज्ञापन के प्रकाशन के उपरान्त सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र की दरें प्राप्त आवेदनों के अन्तिम निस्तारण तक नहीं बढ़ाई जाए परन्तु ऐसे प्रकरण में आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा स्पष्ट निर्धारित करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति, माँग में कमी, तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को दृष्टिगत करते हुये वित्तीय वर्ष 2011-12 में भूमि की दरें नही बढ़ाने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, कृपया कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(देवी शंकर शर्मा)
अपर प्रबन्ध निदेशक

सन्दर्भ सं० 573/576/एसआईडीसी/आईए/एचओ/Premium Rates-09-10

दिनांक 09/08/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, कैम्प, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त विभागध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (औ० क्षे०) उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

(देवी शंकर शर्मा)
अपर प्रबन्ध निदेशक